

# कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

//निविदा सूचना//

कमांक 1393/निविदा/लोक/2018-19,

राजनांदगांव दिनांक 10/9/2018

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी (द एवं अपर श्रेणी) में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण में प्रचलित भवन एस्.ओ.आर/आयटम दर के आधार पर फार्म "ए" में मुहरबंद निविदाएं दो लिफाका पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3/10/2018 शाम 5.00 बजे तक
2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि 5/10/2018 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

| क | कार्य का नाम  | लागत राशि लाख रुपये में | अमानती राशि रुपये में | निविदा फार्म | निविदा प्रपत्र मूल्य रुपये में | समयावधि माह |
|---|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2   | 3                       | 4                     | 5            | 6                              | 7           |
| 1 | महावीर चौक एवं गुरुनानक चौक सौंदर्यीकरण कार्य।                            | 2.98                    | 3000.00               | ए            | 750.00                         | 02 माह      |
| 2 | शहीद भगत सिंह चौक, रेल्वे स्टेशन एवं पुराना बस स्टैण्ड सौंदर्यीकरण कार्य। | 2.40                    | 3000.00               | ए            | 750.00                         | 02 माह      |
| 3 | भदौरिया चौक एवं शहीद हेमु कल्याणी चौक सौंदर्यीकरण कार्य।                  | 2.83                    | 3000.00               | ए            | 750.00                         | 02 माह      |
| 4 | नगर निगम कार्यालय के सामने फलाई ओव्हर के नीचे सौंदर्यीकरण कार्य।          | 4.00                    | 4000.00               | ए            | 750.00                         | 02 माह      |

शर्त:-

- 1 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 2 अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
- 3 निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
- 4 दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेगें।
- 5 नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।
- 6 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयकों से की जावेगी।

02

- 7 छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-190/18/05 रायपुर दिनांक 19.01.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 90 प्रतिशत के अंतर की राशि समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- 8 सफल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटो ग्राप्स, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य की स्थिति संबंधी फोटो ग्राप्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें वार्ड क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित हो ।
- 9 आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे । इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेंगे ।
- 10 छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2003 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा ।
- 11 सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
- 12 सफल निविदाकार को तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा ।
- 13 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
- 14 ब्रिक मेशनरी के कार्य में फ्लाइ एश ब्रिक्स का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 15 पेन नं/टिन नं की प्रति सलंगन करना अनिवार्य होगा ।
- 16 जी.एस.टी. के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निविदा में लागू होगा ।
- 17 किये गए कार्य का भूगतान राशि के उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा ।

पृ.क. 1399/लोक-11/2018-19,  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ ।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. प्र. सदस्य लोककर्म, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ ।
4. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
5. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
6. प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईड में अपलोड किये जाने ।
7. कार्यालय ..... नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु ।

नगर पालिक निगम राजनांदगांव  
राजनांदगांव दिनांक 10/09/18

नगर पालिक निगम राजनांदगांव